

प्रेषक,

देवेन्द्र कुमार पाण्डेय,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

प्रशासन एवं विकास,

पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग-2

लखनऊ :: दिनांक-21 अप्रैल, 2025

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में गो-संरक्षण केन्द्रों की स्थापना योजनान्तर्गत निर्गत शासनादेश में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-552/सा0-2/619(भाग-3)/2024-25, दिनांक-21.03.2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-15 के अधीन गो-संरक्षण केन्द्रों की स्थापना योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या-16/2024/116(2)/सैंतीस-2-2024/006-5(2)/2018टीसी, दिनांक-29.01.2024 के संलग्नक में क्रमांक 04 पर अंकित वृहद गो संरक्षण केन्द्र तालग्राम देहात, तह. छिबरामऊ, जनपद कन्नौज के स्थान पर वृहद गो संरक्षण केन्द्र ग्रा0 तेराराबू, तहसील छिबरामऊ, जनपद कन्नौज का निर्माण कराये जाने हेतु स्थल परिवर्तन की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2- शासनादेश दिनांक-29.01.2024 को उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये। उक्त शासनादेश में उल्लिखित अन्य शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।

भवदीय,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)

विशेष सचिव।

पु0सं0-80/2025/513(1)/सैंतीस-2-2025-5(2)/2018टीसी, तद्विनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी/मुख्य पशुचिकित्साधिकारी/मुख्य अथवा वरिष्ठ कोषाधिकारी।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रवीन्द्र प्रताप सिंह)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।